

सेवा मे,

प्रबंधक/प्रधानाचार्य
रघुकुल एकाडमी प्रतापपुर
देवरिया।


विषय:- रघुकुल एकाडमी प्रतापपुर देवरिया मे स्थापित अग्निशमन ब्यवस्थाओं का अग्नि/जीवरक्षा सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे-

सन्दर्भ:आपका पत्रांक शून्य दिनांक:08.08.2020।


कृपया उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ मे रघुकुल एकाडमी प्रतापपुर देवरिया उ०प्र० मे अग्नि/जीवरक्षा सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रभारी अग्निशमन केन्द्र राजेन्द्र राय द्वारा निरीक्षण कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

- 1.पहुँच मार्ग-विद्यालय भवन तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य कर सकते है।
- 2.स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति वांछित नहीं है।
- 3.अग्निशमन कार्य हेतु पानी की स्थायी भूमिगत/टेरिस टैंक क्षमता 5000 लीटर तथा टेरिस पम्प 450 एल०पी०एम० का वांछित है।
- 4.फर्स्ट एण्ड होजरील बांछित है, जिसमें आवेदक ने बेनहल्फी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 40 दिनों का समय मांगा है, अन्यथा की स्थिति में प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 5.भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्निशामक उपकरण मानक संख्या-2190:1192 के अनुसार 10 अदद ए०बी०सी० टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 कि०ग्र० स्थापित किया गया जिसका टेस्टिंग फीस राजकीय कोष मे जमा करा दिया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
- 6.कम्पार्टमेशन वांछित नहीं है।
- 7.स्वचालित अग्निसुचक और चेतावनी पद्धति वांछित है।
- 8.निकास मार्ग के प्रदिप्त संकेत चिन्ह पाये गये।
- 9.विद्युत आपूर्ति के बैकल्पिक श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर सेट लगाया पाया गया।
- 10.पी०ए० सिस्टम प्राविधानित है।
- 11.निकास की आवश्यकताए एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की ब्यवस्था संतोषजनक पायी।
- 12.स्कूल भवन मे 02 अदद स्टेयर केस स्थापित है।
- 13.विद्यालय मे उपस्थित कर्मचारियों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण संचालित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अतः उपरोक्त अग्निशमन ब्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील बनाये रखने तथा एन.वी.सी 2005 तथा मानक संख्या: 2190:1992 तथा उ० प्र० अग्निनिवारण व अग्निसुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-4 मे दिये गये निर्देशों का पालन करना तथा अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित प्रबंधक/ब्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर अग्निशमन/जीवरक्षा ब्यवस्था का अग्निसुरक्षा निर्गत प्रमाण-पत्र का वर्ष-2020 के लिए निर्गत किया जाता है जो निर्गत तिथि से एक (01) वर्ष तक वैध माना जायेगा। अग्निशमन ब्यवस्था अकार्यशील होने की दशा मे यह प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


Manager
RAJIKUL ACADEMY
BANGARUA, DEORIA (U.P.)


PRINCIPAL
RAJIKUL ACADEMY
BANGARUA, DEORIA (U.P.)


(शंकर शरण राय)
मुख्य अग्निशमन प्रमुख अधिकारी
देवरिया